

**फार्म**  
**अचल संपत्ति विवरणिका वर्ष 2013**

H.R.O.I.  
R.No. 3582  
Date 05.12.2013

10

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 20 1980

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम राजेश कुमार शर्मा 2. वर्तमान धारित पद डा. सहा. शि. 1  
मानव संसाधन विभाग 4. वर्तमान वेतन 27840/- 3. कार्यालय का नाम मुख्य अभियंता  
म.प्र.क. शा. स. वि. जबलपुर 5. भविष्य निधि क्रमांक 22609909 6. कर्मचारी संख्या 88496257

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/ कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जितकी गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
पनागर, जबलपुर लक्ष्मी, पनागर, जबलपुर	गृह	भूमि	11,00,000- लगभग (अनुमानित) 93,50,000- लगभग (अनुमानित)	स्वयं  स्वयं	विरासत, एवं भेंट का अर्थ है श्रेष्ठ 94 में ① खरीद, पट्टा 2002 स्वयं की अर्जन से ② विरासत में प्राप्त मई 2004	कुछ नहीं  86,000-	

हस्ताक्षर R. Kumar  
 नाम राजेश कुमार शर्मा  
 पद डा. सहा. शि. 1

\* जहां लागू न हो काट दीजिए  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी-मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लंबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण दें।

इस कार्यालय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।  
 संलग्न - उपरोक्तानुसार